



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / सं.अ.सं. / 1084

भोपाल, दिनांक 12.07.2022

सूचना

विश्वविद्यालय की समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएं जो मध्य प्रदेश में संचालित हो रही हैं, इन संस्थाओं को सूचना दी जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं सीट वृद्धि की अधिसूचना निम्नानुसार जारी की जायेगी:-

(i) कम्प्यूटर/आई.टी. संबद्ध अध्ययन संस्थाओं :-

सीट वृद्धि:- कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए प्रथम आवंटित सीट के 50% के गुणानुपात में।
अतिरिक्त पाठ्यक्रम:- 1. डी.सी.ए. 2. पी.जी.डी.सी.ए. 3. बी.सी.ए. 4. बीकाम (कम्प्यूटर)
5. एम.एस.सी. (सी.एस.)

(ii) मीडिया संबद्ध अध्ययन संस्थाओं :-

अतिरिक्त पाठ्यक्रम:- 1. एम.ए.(जे), 2. एम.ए.(ए.वी.सी.), 3. एम.ए.(ए.पी.आर.), 4. एम.ए.(एम.सी.), 5. एम.ए.(एवीसी.), 6. एम.ए.(एमएमसी), 7. एम.ए. (बी.जे.) 8. बी.ए.(एम.सी.) 9. बी.एस.सी. (ई.एम.), 10. बी.बी.ए.(एम.सी.), 11. बी.बी.ए. (एपीआर.)।

अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं सीटवृद्धि वर्तमान सत्र जुलाई 2022 से प्रभावशील होंगे। इच्छुक संस्थाएँ इस कालावधि में रेग्युलेशन 18/2008 एवं उसके संशोधन में वर्णित अधोसंरचना अनुसार आवेदन करने के लिए तैयारी कर सकते हैं।

विस्तृत अधिसूचना एवं आवेदन हेतु लिंक शीघ्र ही उपलब्ध करवायी जायेगी।


(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव